

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 35 / 2018

दर्ज दिनांक:—09.05.2018

1. भिक्की सिंह पुत्र किशनी
2. सरोज विधवा वीरी
3. अखैसिंह } पुत्रान
4. राजपालसिंह } छीतरिया
5. कमलेश }
6. संजू } पिसरान
7. पिंटू } वीरीसिंह
8. कोमल }

जाति जाटान निवासीयान ग्राम तुहिया तह.
व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह }
2. बालकिशन } पिसरान
3. नरेन्द्र सिंह } महेन्द्रसिंह
4. सम्पतसिंह पुत्र करना उर्फ कन्ना }
5. जरमन सिंह }
6. देवीसिंह } पिसरान
7. रामवीरसिंह } सोरनसिंह
8. अमरवती }
9. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर।

जाति जाटान निवासीयान
ग्राम तुहिया तहसील व
जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

.....प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
निर्णय

दिनांक:—16.12.2019

वादीगण एवं वादीगण का अभिभाषक उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण भी उपस्थित नहीं। आवाज दिलाई गई, कोई उपस्थित नहीं। इससे जाहिर होता है कि वादीगण अपने दावा को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा० द० हो ।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर